उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-70/2020/एस-2-1677/दस-2020-88क(2)/2017

लखनऊ :: दिनॉक: 09 सितम्बर,2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री अजय प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर नगर।	निदेशक (वित्त), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
2	श्री जगरोपन राम, वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।	वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
2	श्री विजय शंकर, मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़।	वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़।

2- उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु

<u>संख्या-70/2020/एस-2-1677(1)/दस-2020, तददिनॉक।</u> विशेष सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक/कुल सचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, इटावा।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर/आजमगढ़/कानपुर नगर ।
5- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर/ आजमगढ़/कानपुर नगर ।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़/ अम्बेडकर नगर/इटावा ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।